

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 162/2023

अनवान :

रामकुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी सागडा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. राजेन्द्र दत्तक पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी सागडा तहसील भादरा।
2. सन्दीप कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी सागडा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के सम्मक्ष वकील वादी श्री राजेश नेहरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री दलीप सहू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 जे०एस०एल० के खाता सं० 162/148 के मु०न० 97 के कि०न० 11/1, 11/2, 12 ता 14, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 मु०न० 102 कि०न० 4, 5, 7 की 4.0480है० बरानी मय रास्ता तथा रोही मौजा 10 जे०एस०एल० के खाता सं० 123/114 के मु०न० 34 कि०न० 11/1, 11/2, 12, 13, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23 मु०न० 35 कि०न० 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 52 कि०न० 4 ता 7, 14 ता 17 मु०न० 53 कि०न० 1/1, 1/2, 2, 3, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 24 मु०न० 64 कि०न० 1/1, 1/2, 2 ता 4, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13 की 12.6500है० बरानी मय रास्ता वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र अकेले की बजाए वादी रामकुमार व प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र तथा प्रतिवादी सं० 2 सन्दीप कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुदा से जारी की गई।



(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़